खेतीहर मजदूरों की समस्याएं

1148. चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेतिहर मजदूरों की समस्याओं की जांच करने हेतु एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया है ;

(ख) क्या समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सिफारिशों को लागू करवाने हेतु सरकार ने क्या प्रयत्न किए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) :

(क) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ कृषि श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय विधान के प्रश्न पर विचार करने के लिए राज्य के श्रम मंत्रियों की एक समिति गठित की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाल श्रमिकों संबंधी समिति

1149. श्री ईश दत्त यादव :
श्री देवव्रत बिस्वास :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रमिकों को पेश आ रही कठिनाइयों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या उपर्युक्त समिति ने अब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) इस प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) :

(क) से (घ) बाल श्रम से संबंधित 16 सदस्यीय गुरुपदस्वामी समिति का गठन बालकों के रोजगार की प्रवृत्ति के कारणों और उस रोजगार से उत्पन्न समस्याओं की विस्तार से जांच करने के लिए 1979 में किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1979 में प्रस्तुत कर दी थी। इस समिति की स्वीकार की गई सिफारिशों के अनुसरण में उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :—

(1) श्रम मंत्रालय में एक बाल श्रम सैल का गठन किया गया है।

(2) बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।

(3) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :—

(i) कतिपय विशिष्ट व्यवसायों और संक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध किया किया है।

(ii) उन नियोजनों, जिसमें बालकों के कार्य करने को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है में बालकों के कार्य/कार्य परिस्थिति की दशाओं को विनियमित करना ;

(iii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 में "बालक" की परिभाषा (वह व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है) में एक रूपता लाना ;

(iv) किसी भी व्यक्ति को किसी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में इस अधिनियम